राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत दिवेर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :- ग्राम पंचायत दिवेर

प्रकरण सं. – 135/2013 रे0वा0

निर्णय दिनांक– 01.07.2015

अनवान

1. श्री लच्छमण उर्फ लक्ष्मण पिता छज्जा जाति बलाई निवासी दिवेर तहसील भीम

वादी

बनाम

1. श्री गुलाबराम पिता सुखराम जाति कलाल निवासी दिवेर तहसील भीम।
2. श्री शिवलाल पिता ताराचन्द जाति कलाल निवासी दिवेर तहसील भीम।

प्रतिवादी

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 188 आरटीए

यह कि ग्राम दिवेर पटवार हल्का दिवेर तहसील भीम में अन्य आराजियात के अतिरिक्त निम्न आराजियात वादी की मौरूषी होकर वादी के खाते व कब्जे मे चली आ रही है:–

खाता संख्या	खसरा नं.	रकबा			किस्म
		बीघा	विस्वा	विस्वांसी	
987	1431	00	08	00	चाही 1
	1432	00	09	00	चाही 1
	कुल किता 02 रकबा 17 विस्वा				

प्रतिवादीगण वादपत्र जमीन पर जबरदस्ती लाठी के बल पर कब्जा करना चाह रहे है तथा वो वादीगण को उनकी जमीन पर शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त जमीन पर जबरदस्ती लाठी के बल पर कब्जा करना चाह रहे है तथा वो वादीगण को उनकी जमीन पर शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे है। इसके लिये प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हमशा वादी के साथ लडाई झगडा करते रहते है।

प्रतिवादीगण वादी के स्वामित्व के कब्जे शुदा उक्त आराजियात पर कब्जा करने की नियत से इनकी वादग्रस्त जमीन पर बनी पाल डोल वगैरह को हटाने की कोशिश कर रहे है तथा वादी को उनकी उक्त भूमि के उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न कर रहे है।

अतः वादी का वादपत्र न्यायालय में लम्बित होकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प दिवेर** मे पेश हुआ। वादी का वादपत्र एकतरफा कार्यवाही की जाकर डिगरी की जाता है। प्रतिवादीगणो को उपरोक्त वर्णित आराजियात पर किसी प्रकार का कब्जा नही करने हेतु पाबन्द किया जाकर तहसीलदार भीम को लिखा की प्रतिवादीगण उपरोक्त वादीगण की खातेदारी भूमि में किसी भी प्रकार का दखल नही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द